राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 00308/2013

कैलाश चंद रेगर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा), जयपुर रेंज, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा), जयपुर।
4. हीरा लाल रेगर, वर्तमान में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बाटों की गली आमेर, जयपुर जरिये जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा), जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.04.2013
आदेश दिनांक **30.01.2024**

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी के आदेश दिनांक 02.04.2013 जिसके द्वारा उसके कनिष्ठ कार्मिक श्री हीरा लाल को पदोन्नत किया गया, अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर अनुसूचित वर्ग की रिक्ति के विरूद्ध वर्ष 2012–13 के विरूद्ध पदोन्त्त किया जावे तथा समस्त परिणामी लाभ प्रदान करते हुए शेष राशि का 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान किया जाने के आदेश फरमावे जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–3 के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रायसर, जमवारामगढ़, जयपुर में कार्यरत है जिसका नाम मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 51 पर अंकित है और निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 ने श्री हीरा लाल का नाम क्रम संख्या 60 पर अंकित किया इसप्रकार वह अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक है। अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2001 से स्थाई किया गया है, जिसमें अपीलार्थी को क्रम संख्या–11 पर आदेश दिनांक 29.12.2004 में दर्शाया गया है। विभाग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक

अग्रेंजी के पद के लिए रेंजवाईज आदेश दिनांक 02.04.2013 जारी किया गया जिसमें कनिष्ठ कार्मिक श्री हीरालाल का नाम अनुसूचित जाति वर्ग से पदोन्नति प्रदान की गई उनका कथन है कि विभाग द्वारा रेंजवाईज वरिष्ठता सूची प्रकाशित नहीं की गई जो नियमानुसार सही नही है इस प्रकार पदोन्नति आदेश दिनांक 02.04.2013 विधि एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के आदेश दिनांक 02.04.2013 जिसके द्वारा उसके कनिष्ठ कार्मिक श्री हीरा लाल को पदोन्नत किया गया, अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर अनुसूचित वर्ग की रिक्ति के विरूद्ध वर्ष 2012–13 के विरूद्ध पदोन्त किया जावे तथा समस्त परिणामी लाभ प्रदान करते हुए शेष राशि का 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान किया जाने के आदेश फरमावे जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 का नियम 29 (3) कहता है कि कर्मचारी की वरिष्ठता निर्धारण के लिए स्थाईकरण होना आवश्यक है। अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–04 श्री हीरालाल रेंगर को दृप्टांता के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कि अपीलार्थी की जयपुर में कार्यग्रहण तिथि 01.07.1999 है तथा इस कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. जयपुर द्वारा जारी स्थाई वरिष्ठता सूची वर्ष 1999–2000 में मेरिट क्रमांक 51 के अनुसार वरिष्ठता क्रमांक 14 बी 1998–99 पर नाम दर्ज कर दिया गया है। उपनिदेशक मा.शि. जयपुर संभाग जयपुर के आदेश दिनांक 11.04.2016 के अनुसार अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2011–12 की डीपीसी में पदोन्नति की जा चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–3 के पद पर रिक्ति वर्ष 1999–2000 की रिक्ति के विरूद्ध हुई थी। जहां तक अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक की आदेश दिनांक 02.04.2013 द्वारा वरिष्ठ अध्यापक अग्रेंजी के पद पर पदोन्नति किये

जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत है कि कर्मचारी की वरिष्ठता निर्धारण के लिए स्थाईकरण होना आवश्यक है। अपीलार्थी की कार्यग्रहण तिथि 01.07.1999 है और स्थाई वरिष्ठता सूची वर्ष 1999–2000 में मेरिट क्रमांक 51 के अनुसार वरिष्ठता क्रमांक 14 बी 1998–99 पर नाम दर्ज किया गया है और आदेश दिनांक 11.04.2016 के अनुसार अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2011–12 की डीपीसी में की चुकी है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के तर्क में कोई बल नहीं पाते है। अपील अपीलार्थी खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य